न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़, जिला श्रीगंगानगर (राज.)

अनवान

अमीन्द्रकौर आदि बनाम् जगमीतसिंह आदि

प्रकरण संख्या–**80 / 2023**
प्रकरण–अन्तर्गत धारा–212 राज.काश्त. अधिनियम | जी.री.एम.एस नं.–**2023 / 245**

आदेश तारीख	आदेश का विवरण मय अधिकारी के लघु हस्ताक्षर	आदेश की पालना में की गई कार्यवाही
07.07.2023	आज यह पत्रावली प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा **212 आर.टी.ए.** के तहत प्रस्तुत करने पर पेश हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावें। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावें। वकील प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया तो प्रकरण प्रथम दृष्टया, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष का प्रतीत होता है तथा अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण को होने की संभावना है। अतः अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तक जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि चक–26 एपीडी तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–12 पत्थर नं.–313 / 409 का किला नं. –6 / 1,7,8,9 / 2,11 / 3,12 / 1,13 / 3 की कुल 0.9940 हैक्टर कृषि भूमि पर आगामी तारीख पेशी तक विवादित आराजी के किला नं. –13 के रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखें। सम्बन्धित को तहरीर / सूचना जारी हो। वकील प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण की तलबी हेतु तलवाना नोटिस रजि. ए. डी. के पेश करे। रजि. ए.डी. नोटिस पेश नहीं करने की स्थिति में न्यायालय के द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 5 एवं राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 63 (1) के तहत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर अस्थायी निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी पर निरस्त मानी जावेगी। पत्रावली आयंदा दिनांक–**27.08.2023** को पेश हो। (प्रियंका तलानिया) उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़	
[illegible]	आज यह पत्रावली कुल वाद के खिलाफ [illegible] होने के कारण पेशी में ली गई। कुल वाद के खिलाफ होने के कारण प्रा० पत्र [illegible] होने के कारण [illegible]	अमीन्द्रकौर [illegible]

आदेश तारीख	आदेश का विवरण मय अधिकारी के लघु हस्ताक्षर	आदे... में की...
	खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर होवे। नां. से कम हो (हस्ताक्षर) (प्रियंका तलानिया) उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ	